

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 46 / 2017 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 05/2016 निर्णय
दिनांक 09.07.2016।

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- | | | |
|-----------------------------|------|----------------------------------|
| 1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम | बनाम | 1. गोकलाराम पुत्र मानाराम |
| 2. रमकु पत्नी पूनमाराम | | 2. जामताराम पुत्र प्रागाराम |
| जाति माली निवासी | | 3. बरजंगाराम पुत्र प्रागाराम |
| गुड़ालानी तहसील गुड़ामालानी | | 4. सुजाराम पुत्र प्रागाराम |
| | | 5. रायमलराम पुत्र प्रागाराम |
| | | 6. सांवलाराम पुत्र प्रागाराम |
| | | 7. भगवानाराम पुत्र प्रागाराम |
| | | 8. गजा पुत्र रूगाराम |
| | | 9. जेताराम पुत्र रूगाराम जाति |
| | | माली निवासी कांधी की ढाणी |
| | | हाल गुड़ामालानी शहर |
| | | तहसील गुड़ामालानी जिला |
| | | बाड़मेर। |
| | | 10. गिसरी पुत्र मोती |
| | | 11. गणपत पुत्र मोती |
| | | 12. मिरगो बेवा मोती जाति |
| | | जाति ब्राह्मण निवासी कांधी |
| | | की ढाणी हाल गुड़ामालानी |
| | | शहर तहसील गुड़ामालानी |
| | | जिला बाड़मेर। |
| | | 13. जगाराम पुत्र सोनाराम |
| | | 14. भोमाराम पुत्र निम्बाराम |
| | | 15. जोगाराम पुत्र प्रहलादराम |
| | | 16. मेघाराम पुत्र प्रहलादराम |
| | | 17. सती बेवा प्रहलादराम |
| | | 18. मगाराम पुत्र रामाराम जाति |
| | | माली निवासी कांधी की ढाणी |
| | | हाल गुड़ामालानी शहर |
| | | तहसील गुड़ामालानी जिला |
| | | बाड़मेर। |
| | | 19. नेथीराम पुत्र मनराराम जाति |
| | | कलबी निवासी सिंधासवा |
| | | हरनियान तहसील गुड़ामालानी |
| | | जिला बाड़मेर। |
| | | 20. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट |
| | | बैंक शाखा गुड़ामालानी |
| | | 21. राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति |
| | | तहसीलदार गुड़ामालानी। |



राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 48 / 2017 / बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 05/2016 निर्णय
दिनांक 19.07.2016।

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. भंवराराम पुत्र पूनमाराम **बनाम**
2. रमकु पत्नी पूनमाराम
जाति माली निवासी
गुड़ालानी तहसील गुड़ामालानी


1. गोकलाराम पुत्र मानाराम
2. जामताराम पुत्र प्रागाराम
3. बरजंगाराम पुत्र प्रागाराम
4. सुजाराम पुत्र प्रागाराम
5. रायमलराम पुत्र प्रागाराम
6. सांवलाराम पुत्र प्रागाराम
7. भगवानाराम पुत्र प्रागाराम
8. गजा पुत्र रूगाराम
9. जेताराम पुत्र रूगाराम जाति
माली निवासी कांधी की ढाणी
हाल गुड़ामालानी शहर
तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर।
10. मिसरी पुत्र मोती
11. गणपत पुत्र मोती
12. मिरगो बेवा मोती जाति
जाति ब्राहमण निवासी कांधी
की ढाणी हाल गुड़ामालानी
शहर तहसील गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर।
13. जगाराम पुत्र सोनाराम
14. भोमाराम पुत्र निम्बाराम
15. जोगाराम पुत्र प्रहलादराम
16. मेघाराम पुत्र प्रहलादराम
17. सती बेवा प्रहलादराम
18. मगाराम पुत्र रामाराम जाति
माली निवासी कांधी की ढाणी
हाल गुड़ामालानी शहर
तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर।
19. नेथीराम पुत्र मनराराम जाति
कलबी निवासी सिंधासवा
हरनियान तहसील गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर।
20. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट
बैंक शाखा गुड़ामालानी
21. राजस्थान राज्य जरीये भूमिपति
तहसीलदार गुड़ामालानी।



उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक:- 11.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/उतरदाता संख्या 1 एवं अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 2 से 19 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1647/1830, रकबा 12.04 बीघा, खसरा संख्या 1603 रकबा 35.17 बीघा, खसरा संख्या 1622 रकबा 11.14 बीघा कुल रकबा 59.15 बीघा मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी में आये हुये है। खसरा संख्या 1647/1830 रकबा 12.04 बीघा, 1622 रकबा 11.14 बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा व खसरा संख्या 1603 रकबा 35.17 बीघा में से 687/717 हिस्सा है। वादी के उपरोक्त हिस्सा की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड अलग कर इस आशय की खातेदारी घोषित कर बंटवारा किया जाने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किया गया परन्तु अपीलांटगण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलांटगण न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। न ही अपनी ओर से पैरवी हेतु वकील नियुक्त किया गया। अपीलांटगण को सुनवाई का सुमचति अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2016 को कैम्प कोर्ट रामजी का गोल फांटा में प्राथमिक डिक्री जारी कर पत्रावली अंतिम रूप से निर्णित कर दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई एवं तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू. नि. व हल्का पटवारी को विभाजन हेतु नियुक्त कर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तैयार नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।



वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। इसके बावजूद भी 19.07.2016 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

गया है। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट द्वारा निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये :-

RRT 2011-12(Supp.) RRT 698

RRT 2016(1) Page 87

RRT 2015(2) Page 813

RRT 2014(1) Page 258

RRT 2012(1) Page 177

RRT 2010(1) Page 216

RRT 2005(1) Page 588

RRT 2002(1) Page 648

RRT 2004(1) Page 374

RRT 2002(1) Page 53

RLW 2013(1) Page 268

RRD 1986 Page 226

CCC 2011(1) Page 661

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अपीलांट संख्या 1 की पत्नी ज्यादातर बीमार रहती है तथा अभी कुछ समय से अपीलांट संख्या 1 व उसका परिवार अपीलांट की पत्नी के इलाज हेतु बाहर रहे हैं। वर्तमान में जब उतरदाता संख्या 1 के द्वारा अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने व जबरन तारबन्दी करने लगा तब अपीलांटगण द्वारा मना करने पर नही माना। तथा कथन किया गया कि उक्त भूमि उसको न्यायालय की डिक्री से मिली है। जिस पर अपीलांटगण द्वारा वकील नियुक्त कर जानकारी प्राप्त की तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अधिवक्ता मुकर्रर कर नकले दिनांक 21.04.2017 को मांगी। जो दिनांक 21.04.2017 को प्राप्त हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रैस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।


पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा स्कीम पर केवल प्रतिहस्ताक्षर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय गुड़ामालानी राजस्व वाद संख्या 05/2016 बअनवान गोकलाराम बनाम जामताराम में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2016 व 19.07.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।



यह आदेश आज दिनांक 11.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


11/3/19
(नखतदमन बारहद) अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर